जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 195वीं बैठक दिनांक 09.07.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री विष्णु चरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोलिया, अति. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, अति. मुख्य नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री चन्द्र शेखर पाराशर, अति.मु. नगर नियोजक, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एम.पी.), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रवीण, उपायुक्त, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त, जोन 9, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री रामस्वरूप सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मलकेत सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन 9, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री महेश चन्द गुप्ता, सहायक नगर नियोजक, मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्या :–1

195 / 09.07.2013

विषयः– बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 194वीं बैठक दिनांक 23.05.2013 को सम्पन्न हुई बैठको के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 3 के संबंध में पूर्व बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपत्ति की गई कि भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) भूमि आवंटन किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। अतः आवंटन की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण किये जाने के लिए प्रकरण भूमि एवं सम्पति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

बीपीसी (एलपी) की 194वीं बैठक दिनांक 23.05.2013 के शेष कार्यवाही विवरण के संबंध में उक्त बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

एजेण्डा संख्या :–2

195 / 09.07.2013 (पी.आर.एन)

विषयः– पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) सेक्टर 19 में विकसीत 30 फीट सड़क को प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सडक में समायोजित करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तावित एलाइनमेंट अनुसार मौके पर सेक्टर रोड़ 80 फीट के उपरान्त जो भू–पट्टी शेष रहती है, उसका उपायुक्त जोन द्वारा कब्जा लिया जावें एवं उपलब्ध भू–पट्टी पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण जविप्रा द्वारा किया जाकर प्रकरण बीपीसी (एलपी) की बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–3

195 / 09.07.2013 (मास्टर प्लान)

विषयः– प्रारूप सेक्टर प्लान–81 के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि इस प्रारूप सेक्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति / सुझावों की उपायुक्त जोन के साथ पुनः विस्तृत परीक्षण किया जाये एवं संबंधित जोन के सहायक नगर नियोजक / उप नगर नियोजक के साथ इस सेक्टर प्लान में जोन द्वारा किये गये कमीटमेन्ट को लगवाकर पुनः परीक्षण किया जाकर तत्पश्चात् प्रकरण को बी.पी.सी. के समक्ष रखा जाये।

एजेण्डा संख्या :–4

195 / 09.07.2013 (मास्टर प्लान)

विषयः– प्रारूप सेक्टर प्लान–68 के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा तैयार की गई इन्दिरा गाँधी नगर विस्तार योजना में जविप्रा द्वारा रेलवे को दी गई भूमि को चिन्हित किया जावें। संबंधित जोन के सहायक नगर नियोजक / उप नगर नियोजक के साथ इस सेक्टर प्लान में जोन द्वारा किये गये कमीटमेन्ट को लगवाकर पुनः परीक्षण किया जाकर तत्पश्चात् प्रकरण को बी.पी.सी. के समक्ष रखा जाये।

एजेण्डा संख्या :–5

195 / 09.07.2013 (मास्टर प्लान)

विषयः-- प्रारूप सेक्टर प्लान–56ए के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि इस प्रारूप सेक्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की उपायुक्त जोन के साथ बैठक कर पुनः विस्तृत परीक्षण किया जाये एवं संबंधित जोन के सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक के साथ इस सेक्टर प्लान में जोन द्वारा लिये गये कमीटमेन्ट को लगवाकर पुनः परीक्षण किया जाकर तत्पश्चात् प्रकरण को बी.पी.सी. की आगामी बैठक के समक्ष रखा जाये।

एजेण्डा संख्या :–6

195 / 09.07.2013 (जोन–7)

विषयः– प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ए गुलमोहर योजना गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रस्तावित पुनर्गठन स्वीकृत किया जावें जिसके पैरामीटर्स जयपुर रीजन भवन विनियम–2010/2011 के निम्नानुसार देय होगें:–

अधिकतम आच्छादित क्षेत्र–	40 प्रतिशत
न्यूनतम सैट सामने (160' सड़क की तरफ)–	12 मीटर
पीछे–	9 मीटर
साईड–प्रथम–	9 मीटर
साईड–द्वितीय–	9 मीटर
अधिकतम ऊँचाई–	14 मीटर
मानक एफएआर–	1.2 मीटर

पुनर्गठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक 3155.11 व.ग. है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावें।

एजेण्डा संख्या :–7

195 / 09.07.2013 (जोन–8)

विषयः– सेक्टर प्लान में 30 मीटर चौड़ी सेक्टर रोड़ का एलाईनेंट मौके पर निर्मित 30 मीटर चौड़ी ग्रामीण सड़क पर करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सेक्टर प्लान में दर्शित 30 मीटर चौड़ी सड़क का अलाईमेन्ट मौके पर निर्मित 30 मीटर चौडी ग्रामीण सड़क पर किये जाने के संबंध में जोन द्वारा ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत आने वाले खसरों को सुपरईम्पोज किये जाकर खसरा व ग्राम वार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए दो दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाई जावें। आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण पुनः बीपीसी (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–8

195/09.07.2013 (जोन–9)

विषयः– नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बंशीपुरी में भूखण्ड संख्या 99, 99ए व 122, 122ए का नियमन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सेक्टर प्लान में 40 फीट चौड़ी सड़क दर्शित है, जिसे यथावत् रखा जावें एवं भूखण्ड संख्या 99, 99ए, 122 व 122ए इस सेक्टर रोड़ से प्रभावित होने के कारण अस्वीकृत किये जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

16/7/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2013/डी–0291
दिनांकः– 16/7/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।

4. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

16/7/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।